न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 298/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. संदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गुरजंट सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. बलजीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जसवीर सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. राजवीर कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. कुलविन्द्र कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी लालबाई तहसील गिदड़बाहा जिला श्री मुक्त्सर साहिब (पंजाब)
6. कर्मजीत कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. वीरपाल कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति जण्डवाला खरता तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. अमनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह पत्नी गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी भागू तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित — 1. श्री भीम पारीक एडवोकेट वादी संख्या 1
2. श्री जगन्दन सिह एडवोकेट वादी संख्या 2
3. श्री जितेन्द्र लोहरा एडवोकेट प्रति.सं. 1 ता 8

निर्णय दिनांकः—20.12.2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। चक 18 एएमपी के खाता सं. 18/14 के प. नं. 0 मु. नं. 56/30 कि.नं. 0/2 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, प. नं. 0 मु.नं. 58/8 कि. नं. 0 मे 0.051 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता प.नं. 0 मु. न. 58/9 कि.नं. 0 मे 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता प. नं. 0 मु. नं. 58/10 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु. नं. 58/30 कि. नं. 0/1 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 124/158 मु. नं. 16 कि. नं. 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 14,15,17 सालम नहरी प. नं. 124/159 मु. नं. 19 कि. नं. 16 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 17,24 सालम कि. नं. 25 में 0.228 हैक्टर, प. नं. 124/160 मु. नं. 24 कि. नं. 4 सालम कि. नं. 5,6 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7/1 में 0.126 हैक्टर, प.नं. 125/159 मु. नं. 20 कि. नं. 20, 21, 22 सालम प. नं. 125/160 मु. नं. 23

कि. नं. 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7 ता 10 सालम, प. नं. 126/160 मु. नं. 22 कि. नं. 19, 22, 23, 24, 25 सालम कुल किता 30 कुल क्षेत्रफल 6.203 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिंदू परिवार की परिभाषा में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के साथ पिछले कुछ वर्षों से सही नहीं रहा है जिसके चलते वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग– अलग निवास कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के इसी व्यवहार के चलते घरू तौर पर रिश्तेदारों एवं बिरादरी के मध्य हुई पंचायत के आधार पर वादीगण को चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 6.203 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण को 2.530 हैक्टर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टर मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है जो कि कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई है आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर धमकियां देता है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर दुंगा तथा उक्त वर्णित आराजी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 में 6.203 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो वादीगण को दावा की मंद संख्या 6 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने के हक व अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि वह वादीगण को मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्जा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 6 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आाधार पर उक्त आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेंवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 आज कल करता रहा लेकिन बाद में बैमुकाम शाहपीनी में स्पष्ट इनकार हो गया और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर दुंगा बेचान कर अन्यत्र खरीद लुंगा ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले तुम्हे जो करना है कर लो। बस यही बिनाय दावा है। आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक अपने हक व हिस्सा अनुसार वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं रहने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के हक व हिस्सा की आराजी को रहनबैय करने का पूरा अंदेशा लगा रहता है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाने से नहीं हो सकती। इस कारण वादीगण या प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 में 6.203 हैक्टर नहरी आराजी का रहन, बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरित करने व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। इस कारण वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता है। सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। उक्त अनवानी प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 से चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 9 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा वाद वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि दावा में इस आशय की घोषणा की जावे कि वादीगण को चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 के प. नं. 0 मु. नं. 56/30 कि.नं. 0/2 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, प. नं. 0 मु. नं. 58/8 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु.नं. 58/9 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु. नं. 58/10 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पं. नं. 0 मु. नं. 58/30 कि. नं. 0/1 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प.नं. 124/158 मु. नं. 16 कि. नं0 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 14, 15, 17 सालम नहरी, प. नं. 124/159 मु. नं. 19 कि. नं. 16 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 17, 24 सालम कि. नं. 25में 0.228 हैक्टर, प. नं. 124/60 मु. नं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24 कि. नं. 4 सालम कि. नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7/1 में 0.126 हैक्टर प. नं. 125/159 मु. नं. 20 कि.नं. 20, 21, 22 सालम प.नं. 125/160 मु. नं. 23 कि. नं. 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7 ता 10 सालम, पं. नं. 126/160 मु. नं. 22 कि. नं. 19, 22. 23, 24, 25 सालम कुल किता 30 कुल क्षेत्रफल 6.203 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण को बहिस्सा बराबर 2.530 हैक्टर नहरी आराजी का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 9 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 18 ए.एम.पी. खाता सं. 18/14 की जमाबंदी प्रदर्श 1 करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 18 एएमपी खाता संख्या 18/14 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 6.203 हैक्ट. कृषि भूमि गुरजन्ट सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 18 ए.एम.पी. की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिह के पौत्री व पौत्र एव प्रतिवादी संख्या 3 व 5,6,7 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र वधु है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है जो पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने हाजिर आकर राजनीमा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 के प. नं. 0 मु. नं. 56/30 कि.नं. 0/2 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, प. नं. 0 मु. नं. 58/8 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु.नं. 58/9 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु. नं. 58/10 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पं. नं. 0 मु. नं. 58/30 कि. नं. 0/1 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प.नं. 124/158 मु. नं. 16 कि. नं0 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 14, 15, 17 सालम नहरी, प. नं. 124/159 मु. नं. 19 कि. नं. 16 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 17, 24 सालम कि. नं. 25 में 0.228 हैक्टर, प. नं.

124/160 मु. नं. 24 कि. नं. 4 सालम कि. नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7/1 में 0.126 हैक्टर प. नं. 125/159 मु.नं. 20 कि.नं. 20, 21, 22 सालम प.नं. 125/160 मु. नं. 23 कि. नं. 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7 ता 10 सालम, पं. नं. 126/160 मु. नं. 22 कि. नं. 19, 22. 23, 24, 25 सालम कुल किता 30 कुल क्षेत्रफल 6.203 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण प्रथमपक्षकारान को बहिस्सा बराबर 2.530 हैक्टर नहरी आराजी का व द्वितीयपक्षकार संख्या 3 जसवीर सिह को 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिह का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 298/2019

1. संदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गुरजंट सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. बलजीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जसवीर सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. राजवीर कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. कुलविन्द्र कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख नि. लालबाई तहसील गिदड़बाहा जिला श्री मुक्त्सर साहिब (पंजाब)
6. कर्मजीत कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. वीरपाल कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति जण्डवाला खरता तह.व जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. अमनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह पत्नी गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी भागू तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक व जगन्दन सिह एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 8 श्री जितेन्द्र लोहरा एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है किः– वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 18 एएमपी के खाता संख्या 18/14 के प. नं. 0 मु. नं. 56/30 कि.नं. 0/2 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, प. नं. 0 मु. नं. 58/8 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु.नं. 58/9 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प. नं. 0 मु. नं. 58/10 कि. नं. 0 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पं. नं. 0 मु. नं. 58/30 कि. नं. 0/1 में 0.026 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, प.नं. 124/158 मु. नं. 16 कि. नं0 6 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 14, 15, 17 सालम नहरी, प. नं. 124/159 मु. नं. 19 कि. नं. 16 में 0.228 हैक्टर कि. नं. 17, 24 सालम कि. नं. 25 में 0.228 हैक्टर, प. नं. 124/160 मु. नं. 24 कि. नं. 4 सालम कि. नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर कि. नं. 7/1 में 0.126 हैक्टर प. नं. 125/159 मु.नं. 20 कि.नं. 20, 21, 22 सालम प.नं. 125/160 मु. नं. 23 कि. नं. 6 में 0. 228 हैक्टर कि. नं. 7 ता 10 सालम, पं. नं. 126/160 मु. नं. 22 कि. नं. 19, 22. 23, 24, 25 सालम कुल किता 30 कुल क्षेत्रफल 6.203 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण प्रथमपक्षकारान को बहिस्सा बराबर 2.530 हैक्टर नहरी आराजी का व द्वितीयपक्षकार संख्या 3 जसवीर सिह को 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिह का नाम कलमजन किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया